



**भारत सरकार**  
**खान मंत्रालय**  
**भारतीय खान व्यूरो,**  
**क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय**  
द्वितीय तल, जी० एस० आई० फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार कार्यालय परिसर,  
पोस्ट-विधानसभा, रायपुर-४९२००५ (छत्तीसगढ़)  
फोन एवं फैक्स-०७७१-२२८२५३०, २२८५५९० ई-मेल: ro.raipur@ibm.gov.in

**उल्लंघन पत्र**  
रजि. ए.डी./स्वीड पोस्ट/ई-मेल/फैक्स

क्र०— छ०ग०/बलौदाबाजार/चू०प०/३८ छ०ग० 14018

दिनांक :— 26/03/2019

प्रति,

श्री कपिल अग्रवाल, खान मालिक एवं पट्टेदार,  
पिता:— श्री केदार अग्रवाल,  
सी-६६, सेक्टर ४, देवेन्द्रनगर,  
रायपुर (छत्तीसगढ़) — ४९२ ००४  
ईमेल— kapil.mining@yahoo.com / kapilmining@gmail.com

विषय:— छत्तीसगढ़ राज्य के बलौदाबाजार जिले में स्थित आपकी मोपर चूनापथर खदान क्षेत्रफल 13.25 हेक्टेएर में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उल्लंघन के संबंध में।

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण दिनांक 04/03/2019 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्री केदार अग्रवाल एवं श्री शशांक अग्रवाल, खान मालिक प्रतिनिधि की उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है:—

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत व्यूरा
<b>Rule 11 (1)</b>	The following deviations have been found in the mine from the approved Scheme of Mining vide letter no. RAP/LST/MPLN-784/NGP Nagpur dated 27/11/2014 for the period of 2014-15 to 2018-19: <b>Development:</b> In the approved Scheme of Mining, there was a proposal given for the production and development during the year 2017-18 and 2018-19 in-between UTM coordinates N2393300 to N2393510 and E609030 to E609265 whereas, production and development is being done all over the quarry in irregular and un-scientific manner.
<b>Rule 27(2)</b>	पहले से प्रस्तुत वित्तीय आश्वासन और खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 की अधिसूचना की तारीख को बकाया वित्तीय आश्वासन के बीच के अंतर के बाबर की राशि प्राधिकृत अधिकारी को यथास्थिति, अधिसूचना की तारीख (27 फरवरी 2017) से 90 दिनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए, जो कि आज दिनांक तक प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत नहीं की गई है।
<b>Rule 45 (7)</b>	<b>Annual Return 2017-18:</b> The Cost of Production is Rs. 266.91 per metric ton whereas, the Ex-Mine Price is Rs. 267.75 per metric tone, it indicates that the difference of profit & margin is only Rs. 0.84 per metric ton. Supporting invoice may be submitted.
<b>Rule 55</b>	Whole-time Geologist has not been appointed.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं इस नियम का उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 11(2) एवं 45(7) के अंतर्गत (क) खान की समस्त खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती है।  
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग याचिका दायर किया जा सकता है।  
(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।
03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपराक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

भवदीय

(शैवाल कार्तिकेय)  
कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी,  
भारतीय खान व्यूरो, रायपुर

कृ०पृ०प०..2.

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :—

1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर—440001
2. संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ़।

(शैवाल कार्तिकेय)

कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी,  
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर